



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



E-Mail:- deanshahdol@gmail.com Website:-WWW.GMC SHAHDOL.ORG Office No:- 07652-243000

क्रमांक/...../स्था. शाखा/एम.सी./2021

शहडोल, दिनांक...../...../2021

“आदेश”

इस कार्यालय के द्वारा जारी विज्ञापित क्र./1326/ स्था./ एम0सी0/ 2021 शहडोल दिनांक 18.05.2021 के तहत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल में स्टाफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर) स्वीकृत रिक्त पदों की सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति हेतु एम.पी.ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 10.07.2021 के अनुक्रम में जारी वरीयता सूची दिनांक 30.07.2021 अनुसार श्रेणी एवं प्रवर्ग प्रावधिक चयन सूची में से अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये उम्मीदवारों को प्रावीण्यता क्रम में चयनित करते हुए स्टाफ नर्स के पद पर वेतनमान रुपये 5200-20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रुपये-28700/- प्रति माह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल में पदस्थ किया जाता है :-

सीधी भर्ती पात्र स्टाफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर)			
सं.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1	अर्जुन कुमार सिंह, पिता-महेन्द्र सिंह	एकलेहरा न.04 तह. परसिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.) पिन-480449	आर्थिक रूप से कमजोर (ओपन)
2	शिवलाल धाकड़, पिता-शम्भुलाल	ग्राम, ऊमर पोस्ट पौमर तह. सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.) पिन-458226	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन)
3	रामनिवास लववंशी, पिता-राम गोपाल	ग्राम, गोर्वधनपुरा पोस्ट भुमारिया तह.खिलचीपुर जिला राजगढ़ (म.प्र.) पिन-465679	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन)
4	राहुल सिंह राजपूत, पिता-भगवान सिंह राजपूत	नियर पावर हाउस, भुआ-बिछिया जिला मंडला (म.प्र.) पिन-481995	आर्थिक रूप से कमजोर (ओपन)
5	संगीता गजभिये, पिता/पति-नन्दू गजभिये	ग्राम, पोस्ट अलोनिया थाना बंडोल जिला सिवनी (म.प्र.) पिन-480882	अनु.जाति (ओपन)
6	अंकिता पवार, पिता/पति-रामदास पवार	153, KH PH न.18 ठाकुर मोहल्ला साहपुर बैतूल (म.प्र.) पिन-460440	अनु.जाति (ओपन)
7	विनीता प्रजापति, पिता/पति-सोहन लाल प्रजापति	ग्राम, पोस्ट पटना कलान लेफ्ट अमलई जिला अनुपपुर (म.प्र.) पिन-484116	अनु.जाति (महिला)
8	पूर्णमा द्विवेदी, पिता/पति-गोविन्द प्रसाद द्विवेदी	ग्राम, पोस्ट हिनौती तह. सिरमोर जिला रीवा (म.प्र.) पिन-486115	आर्थिक रूप से कमजोर (महिला)
9	प्रियंका परस्ते, पिता/पति-स्वरूप सिंह परस्ते	वार्ड न.05 सिविल लाइन डिडौरी (म.प्र.) पिन-481880	अनु.जनजाति (ओपन)
10	एलेक्जेंडर सैमुअल, पिता-सेमसन सैमुअल	30 मैडले कालोनी राउ इंदौर (म.प्र.) पिन-453331	अनु.जनजाति (ओपन)
11	सत्यवती राठौर, पिता/पति-हीरालाल राठौर	ग्राम शिवनी तहसील थाना जैतरही पोस्ट धनगवाँ जिला अनुपपुर (म0प्र0) पिन-484330	दिव्यांगजन (अन्य पिछड़ा वर्ग)
12	सीमा माथुर, पिता/पति- बाबुलाल माथुर	उमा वासिंग सेन्टर के पास बैकुण्ठधाम आश्रम मेन रोड सलैया, सलैया बैतूल (म0प्र0) पिन-460449	दिव्यांगजन (अनु.जाति)

13	किरन देशमुख, पिता/पति-डेविड देशमुख	बड़े मिशन स्कूल के पिछे,सी.वी. रमन वार्ड न.5 सिवनी (म.प्र.) पिन-480661	आर्थिक रूप से कमजोर (महिला)
14	मिथुन कुमार, पिता-सुरेन्द्र	ग्राम कलाडूमर तहसिल पनागर, जिला जबलपूर (म.प्र.) पिन-483220	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन)

नियुक्ति की शर्तें :-

1. आदेश जारी होने कि दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर उपस्थिति दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रूपये-28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय महगांई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्यें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोडने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. स्टाफ नर्स की इयूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से सायं काल 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 07:00 बजे से अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक होगी। प्रमुख परिवारिका द्वारा रोस्टर अनुसार जिस पाली में इयूटी लगायी जावेगी उस पाली में इयूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू इयूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई इयूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने का म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
15. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
16. यह नियुक्ति अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के अंतिम निर्णय के आधीन होगी, जोकि सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

11
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

शहडोल (म0प्र0)

शहडोल, दिनांक.14/08/2021

पृ. क्रमांक/.....3586-3594/स्था. शाखा/एम.सी./2021

प्रतिलिपि :- की ओर सूचनार्थ ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)।
5. संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)।
6. स्थानीय लेखा-शाखा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) की ओर लेख है कि संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52-2210-01-110-1353-0101-42-002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मे जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म0प्र0)